बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रं. 252 /अकादमी/संबंद्धता/14 भोपाल, दिनांक 04-02-14

प्रति,

प्राचार्य,
भाभा कालेज ऑफ डेन्टल साइंस,
नियर वृन्दावन गार्डन, भोपाल
एन.एच.-12, जाटखेड़ी
होशंगाबाद रोड भोपाल

स्पीड-पोस्ट

विषयः- बी.डी.एस. भाग-4 पाठ्यक्रम सत्र 2013-14 हेतु अस्थाई संबंद्धता प्रदान करने विषयक।

महोदय,

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रं. 12017/123/2005-डी.ई. दिनांक 02.07.2013 द्वारा प्रदत्त मान्यता के आधार पर विद्या परिषद के स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04-01-2014 में की गई अनुशंसा तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08-01-2014 मे अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को को निम्नलिखित पाठ्यक्रम में अस्थाई संबंद्धता सत्र 2013-14 निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तेः-

पाठ्यक्रम का नाम - बी.डी.एस. भाग-4 - 100 सीट संख्या

1. आपको आगामी वर्ष 2014-15 संबंद्धता/निरंतरता हेतु भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली (डी.सी.आई. नई दिल्ली) से अनुमति प्राप्त कर निर्धारित संबंद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित संबंद्धता शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।
2. आपको विश्वविद्यालय के परिनियम 27 एवं 28 की परीक्षा अध्यादेश क्रं. 5,6,7 का पालन करना होगा, जिसे आप विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है।
3. आपको कालेज कोड 28, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली तथा (डी.सी. आई. नई दिल्ली) के माप दण्डो के अनुरूप प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।
4. यदि आपके महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नही है तो आपको तीन माह के अंदर शिक्षकों/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण करनी होगी अन्यथा आपके महाविद्यालय को प्रदत्त यह अस्थाई संबंद्धता/निरंतरता निरस्त कर दी जाएगी।
5. आपको शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो कर विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
6. आपको विषय से संबंधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था डेंटल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली तथा विश्वविद्यालय के अनुरूप करना होगी।
7. आपको डेंटल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों को पालन करना होगा।
8. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
9. उपरोक्त शर्ते पूर्ण न होने पर संबंद्धता निरस्त की जा सकेगी।

नोट :- आपके महाविद्यालय द्वारा प्रचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेज कोड -28 डी.सी.आई नई दिल्ली के माप दण्डों के तहत कर ली गई है तो उनके कार्यवृत्त/नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेखों (फोटो सहित) की एक छायाप्रति अकादमी शाखा की संबंद्धता कक्ष को प्रस्तुत करनी होगी।

उप-कुलसचिव (अकादमी)

पृ.क्रं. 253 /अकादमी/संबंद्धता/14 भोपाल, दिनांक 04-02-14

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अधिष्ठता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, बी.यू. भोपाल।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) शाखा बी.यू., भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, संचालक, शारी.शिक्षा, अधि.छा.क., समन्वयक रा.से.यो. बी.यू., भोपाल।
6. निजी नस्ती।

उप-कुलसचिव (अकादमी)

Imran Medical